<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 64 / 2020 **दायर दिनांकः 24 / 06 / 2020**

उनवान

1. नन्दलाल आयु 65 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूर्जर निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>
<u>बाबत् नाम दुरस्ती हेतु</u>

उपस्थिति :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 19 / 04 / 2021

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 360 का ख0न0 1404 का रकबा 0.24 है०, ख0न० 1405 का रकबा 0.76 है0, ख0न0 1406 का रकबा 0. 61 है0, ख0न0 1408 का रकबा 0.28 है०, कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0, आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी सवंत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादी के पिता हीरालाल की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 46 में वादी का उसके भाईयों के साथ सही नाम नन्दलाल दर्ज किया गया था। नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट सन् 1999 से 2009 में वादी का सही नाम नन्दलाल दर्ज है। सेटलमेन्ट जमाबन्दी साथ में संलग्न है। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी के नाम खाते में गलती से नन्दलाल के स्थान पर लल्लू दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही नाम नन्दलाल है। वादी के पहचान पत्र , आधार कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड या ग्राम पंचायत बडौरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम नन्दलाल दर्ज है। दस्तावेजों की प्रतिया साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम लल्लू के स्थान पर नन्दलाल दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के०सी०सी० ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिससे वादी को अपरिमित क्षति हो रही हैं जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पडेगा। इसलिए वादीगण का वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पर वादी का नाम लल्लू के स्थान पर नन्दलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें । इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट कर्मचारीगण द्वारा वादी का गलत नाम लल्लू दर्ज कर देने पर तथा अंतिम बार दिनांक 14.03.2020 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्न्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम बडौरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें किः–

(अ) वादी का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम बडौरा की खाता संख्या 360 के कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0, आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी का नाम लल्लू के स्थान पर नन्दलाल दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझ वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 व PW_2 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 360 का ख0न0 1404 का रकबा 0.24 है०, ख0न० 1405 का

रकबा 0.76 है0, ख0न0 1406 का रकबा 0.61 है0, ख0न0 1408 का रकबा 0.28 है०, कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0, में वादी का नाम लल्लू पुत्र हीरालाल सह खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम लल्लू के स्थान पर नन्दलाल दर्ज किया जावे तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र , राशन कार्ड, कार्यालय ग्राम पंचायत बडोरा का प्रमाण पत्र क्रमांक 2020 दिनांक 8.02.2020 तथा बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की खाता डायरी, भामाशाह कार्ड आदि के अनुसार प्रार्थी का नाम नन्दलाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर अंकित है तथा इन्तकाल प्रदर्श 2 ए अनुसार नामा0 सं. 46 में नन्दलाल, नाम अंकित है। रिकॉर्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित मे वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 360 का ख0न0 1404 का रकबा 0.24 है०, ख0न० 1405 का रकबा 0.76 है0, ख0न0 1406 का रकबा 0.61 है0, ख0न0 1408 का रकबा 0.28 है०, कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0 में लल्लू के स्थान पर लल्लू उर्फ नन्दलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 64/2020

उनवान

1. नन्दलाल आयु 65 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गूर्जर निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थिति :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम ग्राम एवं माल बडौरा पटवार हल्का बडौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 360 का ख0न0 1404 का रकबा 0.24 है०, ख0न० 1405 का रकबा 0.76 है0, ख0न0 1406 का रकबा 0.61 है0, ख0न0 1408 का रकबा 0.28 है०, कुल किता 4 का रकबा 1.89 है0 में लल्लू के स्थान पर लल्लू उर्फ नन्दलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19/04/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.05.27 14:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

अटरू जिला बारां (राज0)